नोटिस में बात आई, मैंने अपने सेकेंद्री जनरल और वाच ऐंड वार्ड अ!फिसर को कहा कि एन्क्वायरी करें। उन्होंने एन्क्वायरी की और जिसके तहत वह चीज होगी वही ऐक्शन उनके खिलाफ ले सकता है। मेरा नाम कहीं गलत छप गया है।

There is a Department, it is not under me also.

हमारे वाच ऐंड वार्ड के आफिसर नहीं थे और उनको मैं कर भी नहीं सकता। It is not my job.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): Sir, you had assured us a couple of days ago that you will get the corroboration or confirmation or denial of something which the Railway Minister was reported to have said.

MR. SPEAKER: I have already got it with me. I will talk to you.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Have you got it?

MR. SPEAKER: Yes.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Will you inform the House?

(Interruptions)

श्री मनीराम बागड़ी: आपने नहीं किया न?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: वह स्पीकर ने नहीं किया है, बात खत्म हो गई।

श्री राम विलास पासवान : आप क्यों नहीं कीजिएगा? मेम्बर के ऊपर यदि कोई ज्यादती होगी तो कौन करेगा? आप हमेशा कहते हैं कि मैंने नहीं किया.

अध्यक्ष महोदय: आप इतनी गरमी में बात करते हैं। मेरी बात सुनिए। हरएक बात विधान और कानून के हिसाब से होती है। जब आप गरम हो जाते हैं तो उसमें सारी बात बिगड़ जाती है। गर्मी में सारी बात बिगड़ जाती है। हमने कुछ विधान और धाराएं बनाई हैं, उन्हीं के अनुसार कार्यवाही होती है। मैं कहता हूं किसी आदमी को, अपने हिसाब से वह अपना कर रहा है।

श्री रामविलास पासवान: आपने भेजा सेक्रेटी जनरल को। सेक्रेट्री जनरल ने फाइंड आउट किया। उसमें चाहे एरा०पी० की गलती हो चाहे सिपाही की गलती हो (व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए कह रहा हूं न। और क्या कह रहा हूं ? यही कह रहा हूं।

12.13 brs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Payment of Bonus (Amendment) Rules, 1983 and Emigration Rules, 1983.

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL): I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Payment of Bonus (Amendment) Rules, 1983 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 251 in Gazette of India dated the 21st January, 1984 under sub-section (3) of section 38 of the Payment of Bonus Act, 1965.

[Placed in Library. See No. LT-7796/84]

(2) A copy of the Emigration Rules, 1983 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 941(E) in Gazette of India dated the 30th December, 1983 under section 44 of the Emigration Act, 1983.

[Placed in Library. Sec No. LT-7797/84]

Review on the working of and Annual Report of Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. Calcutta for 1981-82 and Statement for delay in laying the Annual Report and Audited Accounts of the said institution for the year 1982-83.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VASANT SATHE): I beg to lay on the Table:—